<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>11.07.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, हुमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के बही-खाते (बुक्स ऑफ अकाउन्ट), डिजिटल डिवाइस समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ ही अपराध की आय (पीओसी) रुपये 2.98 करोड़ नकद मिले और जब्त किए गए।

ईडी ने हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया समूह की कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस और ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि सोसाइटी ने 1 करोड़ से अधिक निवेशकों/जमाकर्ताओं से उच्च रिटर्न का वादा करके 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की है। इसके बाद, सोसाइटी नियत परिपक्वता(मेच्योरिटी) तिथि के बाद भी परिपक्वता राशि वापस करने में विफल रही।

इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि सोसायटी द्वारा बनाए गए पीओसी को अंबे वैली सिटी लिमिटेड सहित सहारा समूह की कई संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया था। इन पीओसी का पता लगाया जा रहा है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।